भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
29.03.2023 के
तारांकित प्रश्न सं. 420 का उत्तर

पैसेंजर ट्रेन सेवाओं को पुन: आरंभ करना

*420. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़:
श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 से पूर्व की अवधि के अनुसार केरल राज्य सहित देश में चल रही सभी यात्री रेलगाड़ी सेवाओं को पुन: आरंभ करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केरल से चलने वाली उन यात्री रेलगाड़ी सेवाओं की सूची का ब्यौरा क्या है जिन्हें कोविड-19 अवधि के बाद अभी तक आरंभ नहीं किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने यात्री रेलगाड़ियों में न्यूनतम किराया 10 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये करने के संबंध में कोई नीतिगत निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो कोविड-19 के सभी प्रतिबंध हटाए जाने के बाद भी सभी यात्री रेलगाड़ियों को 30 रुपये के न्यूनतम किराए के साथ एक्सप्रेस स्पेशल के रूप में चलाने के सरकार के निर्णय के पीछे क्या औचित्य है; और

(ङ) क्या सरकार का सभी एक्सप्रेस स्पेशल रेलगाड़ियों को 10 रुपये के न्यूनतम किराए के साथ नियमित यात्री रेलगाड़ियों में परिवर्तित करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

पैसेंजर ट्रेन सेवाओं को पुन: आरंभ करने के संबंध में दिनांक 29.03.2023 को लोक सभा में एडवोकेट ए.एम. आरिफ़ और श्री वी.के. श्रीकंदन द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 420 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): भारतीय रेलों पर रेलगाड़ी सेवाएं राज्य-वार आधार पर नहीं चलाई जाती हैं क्योंकि रेल नेटवर्क राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैला हुआ है। कोविड-19 वैश्विक महामारी को फैलने से रोकने के मद्देनजर, भारतीय रेल ने 23.03.2020 से मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों सहित सभी नियमित यात्री गाड़ियां बंद कर दी थीं और सीमित ठहरावों के साथ केवल स्पेशल गाड़ियां परिचालित की जा रही थीं। इसके अलावा, भारतीय रेल ने आईआईटी-मुंबई के सहयोग से वैज्ञानिक पद्धति से गाड़ी सेवाओं के युक्तिकरण सहित, समय-सारणी को युक्तिसंगत बनाया है। यह कार्रवाई, अन्य बातों के साथ-साथ, बेहतर यात्री संरक्षा के लिए रख-रखाव गलियारा ब्लॉकों के सृजन, वर्तमान समय-सारणी में विसंगतियों को दूर करने और गाड़ी सेवाओं की गति बढ़ाने के लिए की गई थी। नवंबर-2021 से, परिचालनिक व्यवहार्यता के अध्यधीन, गाड़ी सेवाओं को युक्तिसंगत समय सारणी के साथ परिचालित किया जा रहा है और सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों को नियमित नंबरों के साथ परिचालित किया जा रहा है।

गाड़ियों का किराया रेलगाड़ी सेवा के वर्गीकरण के अनुसार लिया जाता है। यदि रेलगाड़ी को मेल/एक्सप्रेस के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो मेल/एक्सप्रेस गाड़ी का किराया लिया जाता है और यदि रेलगाड़ी को साधारण यात्री रेलगाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो साधारण रेलगाड़ी का किराया लिया जाता है।

*****